25/11/2021 - पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 कैम्प सिरासना में रखी गई। वादी, प्रतिवादी सं० 1, 2 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी सं० 1 ने वाद स्वीकार करने पर अनापत्ति दी है, प्रतिवादी सं० 2 की ओर से जवाब पेश किया, जो शा० रि० रखे। ~~वाद वादी कि किया जाता है।~~ प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

नहीं है।

RTI बन्नाराम

सिरसु

पहचानकर्ता

महादेव राम
सरपंच
ग्राम पंचायत सिरासना
प.स.-डेगाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 15/2020

प्रार्थी – सरजूदेवी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी देवला मादा तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

बनाम

अप्रार्थी – 1. धन्नाराम पुत्र हरसुखराम जाति जाट निवासी सिरासना तहसील डेगाना जिला नागौर राज.
2. तहसीलदार डेगाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी –श्री जीयाराम रॉयल

दिनांक 25.11.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम देवला कलां तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में पुराने खेत खसरा नंबर 65 रकबा 13.04 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 40 रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के सहखातेदार नरपतसिंह उर्फ कमल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सिरासना द्वारा खसरा नंबर 65 रकबा 13.04 बीघा में से अपने 1/9 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि के खातेदारी अधिकारों का रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 28.12.2012 को प्रार्थीनी सरजूदेवी पत्नी रामकरण के साथ–साथ श्रीमति सुशीला बाबल पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी देवला मादा के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था तथा बेचान दस्तावेज निष्पादित करवाये जाने के दिन ही मौके पर क्रेतागण का कब्जा करवा दिया था एवं भूमि के प्रतिफल को राशि प्राप्त कर ली थी। उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 307 दिनांक 06.02.2013 प्रार्थीनी व सुशीला के पक्ष में भरा जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्छी संवत 2066 से 85 में खातेदारी दर्ज हो चुकी थी। रि–सैटलमेन्ट के पश्चात् पुराने खसरा नंबर 65 रकबा 13.04 बीघा भूमि के नये खसरा नंबर 40 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.06 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 92 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। बाद रि–सैटलमेन्ट के पश्चात् उपरोक्त खसरान की भूमि की खातेदारी में प्रार्थीनी सरजूदेवी पत्नी रामकरण व सुशीला बाबल पत्नी रामदेव का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2066–2085 में दर्ज कर दिया गया तथा उक्त भूमि की खातेदार सुशीला बाबल पत्नी रामदेव द्वारा उपरोक्त तीनों खसरान 40, 91, 92 कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर में से अपना 1/18 हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम पुत्र हरसुखराम जाति जाट निवासी देवला मादा के पक्ष में दिनांक 07.08.2014 को निष्पादित करवा दिया था तथा बाद बेचान सुशीला बाबल के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम प्रार्थीनी के

Scanned by CamScanner

साथ–साथ अपने क्रय सुदा 1/18 वें हिस्से पर काबिज हो गया परन्तु उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर जो नामान्तकरण संख्या 37 भरा गया उसमें विक्रेता सुशीला बाबल के साथ–साथ प्रार्थीनी का नाम भी उक्त भूमि की खातेदारी से हटा दिया गया जबकि खातेदार सुशीला बाबल के द्वारा ही अपने 1/18 हिस्से का बेचान किया गया था। प्रार्थीनी ने उक्त भूमि की नकल जमाबन्दी निकलवाई तो पता चला की इसमें अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज है तथा प्रार्थी का नाम उक्त भूमि की खातेदारी से हटा दिया गया है जबकि उक्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थीनी का 1/24 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम का 1/24 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। प्रार्थीनी उक्तानुसार रेकर्ड दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 से निवेदन किया मगर उन्होने प्रार्थीनी की खातेदारी दर्ज करते हुए रेकर्ड दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवला कलां तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नंबर 40 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नंबर 92 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम के नाम से दर्ज 1/12 हिस्सा के स्थान पर रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर 1/24 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीनी सरजूदेवी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी देवला मादा के नाम से तथा शेष 1/24 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम पुत्र श्री हरसुखराम जाति जाट निवासी देवला मादा के नाम से दर्ज की जाकर इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाकर अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प सिरासना में रखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने कैम्प में उपस्थित होकर मौखिक रूपसे निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम देवला कलां के नामान्तकरण संख्या 37 जो पंजियन दस्तावेज संख्या 2014/001729 दिनांक 07.08.2014 के अनुसार दर्ज किया गया जिसमें सुशीला बाबल पत्नी रामदेव द्वारा खसरा नंबर 40, 91, 92 कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर में से अपना हिस्सा धन्नाराम पुत्र हरसुखराम जाति जाट निवासी देवला मादा को बेचान किया गया है। किन्तु जमाबन्दी में नोट लगाते समय सुशीला व सरजूदेवी के स्थान पर धन्नाराम का नाम दर्ज कर दिया जो एक लिपिकीय भूल है। अतः धन्नाराम पुत्र हरसुखराम के हिस्से के साथ सरजूदेवी पत्नी रामकरण कौम जाट सा. देवला मादा का नाम पुनः दर्ज किया जाना उचित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सरजूदेवी पत्नी रामकरण हिस्सा 1/24 व धन्नाराम पुत्र हरसुखराम हिस्सा 1/24 दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प सिरासना में उपस्थित उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत बैचान दस्तावेज दिनांक 28.12.2012 के अनुसार खातेदार नटवरसिंह उर्फ कमल पुत्र रामकरण के द्वारा खसरा नंबर 65 रकबा 13.04 बीघा में से अपने 1/9 हिस्से का बेचान सुशीला बाबल पत्नी रामदेव व सरजूदेवी पत्नी रामकरण के नाम किया गया है जिसके आधार पर क्रेतागण के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 307 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा जमाबन्दी संवत 2066 से 2085 में खातेदारी दर्ज की गई थी। इसके

Scanned by CamScanner

पश्चात् खातेदार सुशीला बाबल पत्नी रामदेव के द्वारा नवीन खसरा नंबर 40, 91, 92 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/18 क्रेता धन्नाराम पुत्र हरसुखराम के पक्ष में दिनांक 07.08.2014 को बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 02.06.2016 भरा गया। एवं उक्त नामान्तकरण संख्या 37 के आधार पर जमाबन्दी संवत 2066 से 2085 में जो नोट अंकित किया गया उसमे खातेदार सुशीला व सरजूदेवी दोनो के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम की खातेदारी दर्ज कर दी गई जबकि बेचान दस्तावेज केवल सुशीला बाबल के द्वारा ही निष्पादित किया गया था। भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि लिपिकीय भूल से सरजूदेवी का नाम हटाया गया है तथा उक्त भूमि की खातेदारी में सरजूदेवी पत्नी रामकरण का 1/24 हिस्सा व धन्नाराम पुत्र हरसुखराम का 1/24 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति एवं भूमिधारी अप्रार्थी संख्या 2 की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवला कलां तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नंबर 40 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नंबर 92 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम के नाम से दर्ज 1/12 हिस्सा के स्थान पर रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर 1/24 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीनी सरजूदेवी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी देवला मादा के नाम से तथा शेष 1/24 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम पुत्र श्री हरसुखराम जाति जाट निवासी देवला मादा के नाम से दर्ज की जाकर इसी माफिक राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर मजमेआम में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner